भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3514
उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत गैर-लाभकारी संगठन

3514. श्री विजय बघेलः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले गैर-लाभकारी संगठनों के लिए कोई योजना लागू की है और उन्हें कितनी वित्तीय अनुदान राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दुर्ग में ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) क्या सरकार के पास इस अवधि के दौरान इन एनजीओ के माध्यम से लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत गैर-लाभकारी संगठनों के लिए दो योजनाओं अर्थात् ड्रग्स की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तथा और एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी), अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) स्कीम का एक घटक कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियों और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। विभाग में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

अनुबंध

''सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत गैर-लाभकारी संगठन'' के संबंध में श्री विजय बघेल द्वारा लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3514 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में जारी निधियों और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी की गई कुल धनराशि (रुपये करोड़ में)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	ड्रग्स की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	2.83	50,584
2.	एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)	1.92	500

*****